

वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4 (254) वित्त-1(1)/आ.व्यय/2012/
संबंधित कोषाधिकारी
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक : 21.03.14

(स्वीकृति संख्या 874/2013-14)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पीडी खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.4 () परावि/एनबीए/संस्था / सीसीडीयू/राज्यांश/2013-14/2588 जयपुर, दिनांक : 19.03.2014 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 67 /2013-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु 2000.00 लाख (अधरे बीस करोड़ रु मात्र) निम्न बजट नद से प्रभावी करतो हुए संबंधित जिला परिषदों के पीडी खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या - 41

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(24) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

[02] - कार्यकलाप/गतिविधियां

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेलन) आयोजना -

राशि रु 1404.60 लाख

मांग संख्या 30

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(26) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

[02] - कार्यकलाप/गतिविधियां

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेलन) आयोजना -

राशि रु 251.20 लाख

मांग संख्या 51

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(27) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

[02] - कार्यकलाप/गतिविधियां

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेलन) आयोजना -

राशि रु 344.00 लाख

योग :- राशि रु 2000.00 लाख

(अधरे राशि रु बीस करोड़ मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान नद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित परियोजना के खातों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य परियोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जावेगी।

भवदीय


(ए.एल. आचार्य)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिरिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को 6 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग राजा जयपुर।
3. संयुक्त सचिव सचिव वित्त (व्यय-6) विभाग, राजा जयपुर।
4. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
5. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग जयपुर।
7. रजिस्ट्रार पत्रावली।